न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 14/2020–21

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

1
29/12/2020

आवेदक लालू भगत, पिता –स्व0 जितू भगत, जाति उरॉव, ग्राम+पो0 लुंगटू, थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म
लुंगटू	148	117	1181	1.36 एकड़ में से 0.35 एकड़	

चौहदी :– उत्तर – सीमाना कीरींगलोईया ग्राम
दक्षिण – पक्की रोड़
पूरब – साव का टांड जमीन
पश्चिम – कच्ची रोड।

जमीन विक्रेता का विवरणी

लालू भगत, पिता –स्व0 जितू भगत, जाति उरॉव, ग्राम+पो0 लुंगटू, थाना – बसिया, जिला– गुमला

जमीन केता का विवरणी

तसलिमा टुटी, पिता– हिलारियुस हेमरोम जाति – मुण्डा, ग्राम+पो0 लुंगटू थाना बसिया, जिला गुमला ।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **केता** तसलिमा टुटी, पिता– हिलारियुस हेमरोम जाति – मुण्डा, ग्राम+पो0 लुंगटू थाना बसिया जिला गुमला को राशि रूपये 4,55,000 (चार लाख पचपन्न हजार) रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदने हेतु रूपय की आवश्यकता है। रूपये आने का

	अन्य कोई श्रोत नहीं होने के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 25/रा0 दिनांक 22/12/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अब तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचानी पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उरॉव एंव मुण्डा के है साथ ही एक थाना के निवासी है। अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक लालू भगत, पिता –स्व0 जितू भगत, जाति उरॉव, ग्राम+पो0 लुंगट, थाना – बसिया, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला) भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता बसिया (गुमला)	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.12 14:33:47 +05:30
Location: 192.168.0.112